भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **3194**

दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 / 25 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानपत्तनों का निजीकरण

3194. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी कंपनियों को पहले ही हस्तांतरित किए जा चुके विमानपत्तनों की संख्या और निजीकरण के लिए पहचान किए गए विमानपत्तनों का विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन विमानपत्तनों के निजीकरण से सरकार को कितना राजस्व अर्जित होने की उम्मीद है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) , विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) और (ख): अब तक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु के आठ हवाईअड्डों को पट्टे पर दिया है।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के अनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) के 25 हवाईअड्डों नामतः भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, त्रिची, इंदौर, रायपुर, कालीकट, कोयंबटूर, नागपुर, पटना, मदुरै, सूरत, रांची, जोधपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा, वडोदरा, भोपाल, तिरुपति, हुबली, इंफाल, अगरतला, उदयपुर, देहरादून और राजमुंदरी को 2022 से 2025 तक की अवधि में परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए चिह्नित किया गया है।

इन हवाईअड्डों के मुद्रीकरण से सरकार को जिस राजस्व की उम्मीद है, उसका सटीक मूल्य इस स्तर पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह कई कारकों पर निर्भर करेगा जैसे कि समझौते का समय, बाजार की स्थिति, निवेशक की रुचि, लेनदेन की शर्तें आदि।

*****